दिनांक 11.03.2015 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति -पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम अपर मिशन निदेशक द्वारा सभी का स्वागत करते हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यो एवं उपलब्धियों की जानकारी दी गई। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्तावों पर शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

प्रस्ताव संख्या 1 :- दिनांक 12.12.2013 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही **(परिशिष्ट-'क')** पर शासी परिषद की सम्पुष्टि प्रार्थित है।

निर्णय	**स्वीकृत**

प्रस्ताव संख्या 2 :- दिनांक 12.12.2013 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की स्थिति **(परिशिष्ट-'ख')** पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	**स्वीकृत**

प्रस्ताव संख्या 3 :- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के पत्रांक 8636, दिनांक 31.08.09 द्वारा सृजित पदों **(परिशिष्ट-'ग')** का अवधि विस्तार एवं नए पदों **(परिशिष्ट-'घ')** का सृजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया है।

उपरोक्त पदों पर संविदा/आउटसोर्स के आधार पर नियोजन करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

उपरोक्त पदो पर नियोजन हेतु योग्यता एवं अर्हता निर्धारण के लिए अध्यक्ष, शासी परिषद -सह- मुख्य सचिव बिहार के अनुमोदनोपरांत मिशन निदेशक -सह- प्रधान सचिव, समान्य प्रशासन विभाग को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर भी शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	**स्वीकृत - नए सृजित पदों पर नियोजन की प्रकिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।**

प्रस्ताव संख्या 4 :- दिनांक 18.06.13 को आयोजित शासी परिषद की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रभाव से बिहार

प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पर होने वाले व्यय का वहन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाना है। **(परिशिष्ट- 'ड.')**

उक्त के आलोक में योजना मद से गैर योजना मद में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव पर दिनांक 04.03.14 को आहूत त्रिसदस्यीय प्राधिकृत समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभिमत गठित हुआ कि सोसाइटी को राज्य योजना की एक परियोजना मानते हुए अपेक्षित राशि का व्यय योजना मद से किया जाए। प्रशासी विभाग इस हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वेतनादि मद में वार्षिक अनुमानित व्यय रूपये 37,44,19,632.00 (सैंतीस करोड़ चौवालीस लाख उन्नीस हजार छ: सौ बत्तीस) तथा वेतनादि के अलावा रूपये 16,37,60,000.00 (सोलह करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार) अर्थात रूपये 53,81,79,632.00 (तिरेपन करोड़ एकासी लाख उनासी हजार छ: सौ बत्तीस) उपलब्ध कराने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से किये गये अधियाचना पर राशि उपलब्ध करायी गयी है। **(परिशिष्ट- 'च')** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त उक्त बजट पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त राशि में राशि के अवशेष/अव्यवहृत रहने की स्थिति में अवशेष/अव्यवहृत राशि को अन्य मदों में व्यय करने के लिए स्थानांतरित करने हेतु मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	**स्वीकृत**

प्रस्ताव संख्या 5 :- मिशन कार्यालय में कार्यरत प्रोग्रामर, श्री वीरेश कुमार का मूल रूप में नियोजन DFID के T.A. Fund से GTAST द्वारा किया गया है। दिनांक 31.08.13 को DFID से GTAST के अनुबंध के समाप्त होने के सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 29.08.2013 को आयोजित शासी परिषद के निर्णय के आलोक में इनके मानदेय का भुगतान मिशन के F.A. मद से किया जा रहा है।

श्री वीरेश कुमार के मिशन में प्रथम एक वर्ष के अनुबंध की अवधि माह 30 अगस्त, 2014 को पूर्ण हो गयी है। परंतु, श्री कुमार की सेवा की प्रकृति अनिवार्य होने के कारण इनकी सेवा लगातार ली जा रही है तथा इनके मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

अत: इस अवधि के पश्चात से श्री कुमार की सेवा आगामी एक वर्ष के लिए पुनर्अनुबंधित करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन तथा अब तक किए गए मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत - भविष्य में इस विषय पर निर्णय लेने के लिए मिशन निदेशक को प्राधिकृत किया गया। पुर्नअनुबंध एक वर्ष अथवा अगले आदेश तक किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 6 :- मिशन कार्यालय एवं जिला स्तर पर नियोजित विभिन्न आई.टी. प्रबंधक, जिनके अनुबंध एवं पुनअर्नुबंध की कुल अवधि चार वर्ष पूर्ण हो गयी है, की सेवा आगामी एक वर्ष के लिए पुनर्अनुबंधित करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। **(परिशिष्ट-'छ')**

उक्त आई.टी. प्रबंधकों में मुख्यालय में नियोजित आई.टी. प्रबंधकों को मानदेय का भुगतान मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा रहा है, जिस पर शासी परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है। **(परिशिष्ट- 'छ')**

उक्त की भाँति मिशन कार्यालय एवं जिलों द्वारा आर0टी0पी0एस0 के कार्यो में सहायता करने हेतु नियोजित आई0टी सहायको, कार्यापालक सहायको तथा जनशिकायत कोषांगो में नियोजित जन शिकायत पदाधिकारीयों एवं इनके साथ सम्बद्ध कार्यपालक सहायको जिनकी अनुबंध/पुनर्अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई है, की सेवा आगामी एक वर्ष के लिए पुन: अनुबंधित करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत - भविष्य में इस विषय पर निर्णय लेने के लिए मिशन निदेशक को प्राधिकृत किया गया। पुर्नअनुबंध एक वर्ष अथवा अगले आदेश तक किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा चलाये गए राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मियो को Technological एवं Behavioral अल्पकालीन प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मुल्यांकन चयनित Third Party चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान द्वारा कराया गया है। चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के साथ हुए एकरारनामा के शर्तो के आधार पर अंतिम किस्त का भुगतान संस्थान द्वारा Third Report समर्पित करने एवं इस प्रतिवेदन का बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से अनुमोदनोपरांत किया जाना है। चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का मुल्यांकन Process Evaluation तथा Outcome Evaluation प्रकिया अपनाकर तथा क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण का निरीक्षण Close And Open Ended Questions सम्बधित प्रपत्रो में सूचना एकत्र कर किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा किये गये मूल्यांकन की मुख्य बाते निम्नवत है:-

3/

(1) राज्य के समूह 'घ' के कर्मियों को दिये गए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को काफी रचनात्मक एवं व्यवस्थित पाया गया।

(2) प्रशिक्षण के तकनिकी भाग से उच्च तथा देखने योग्य परिणाम प्रतिभागियों में देखने को पाया गया।

(3) CIMP द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में दर्शाये गए उपयोग में लायी जाने वाली मशीनों तथा अन्य संसाधनों की कमियों/त्रुटियों का IL&FS प्रशिक्षण दाता संस्थान द्वारा सकारात्मक रूप से निराकरण करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

(4) निष्कर्षत: प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के आचरण तथा व्यवहार में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

CIMP द्वारा प्रस्तुत उक्त तृतीय प्रतिवेदन की स्वीकृति तथा शासी परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में CIMP को किये गए भुगतान में शासी परिषद् की घटनोतर स्वीकृति प्रार्थित है। भुगतान की कुल राशि रूपये 4692191 थी।

निर्णय	**स्वीकृत – लोक संवेदना अभियान के तहत वर्ग 3 के कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी बनाया जाए और उसके लिए राशि का प्रावधान मिशन के बजट से किया जाय।**

प्रस्ताव संख्या 8 :- काफी अवधि से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा नियोजित कर्मियों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। उदाहरणस्वरूप मिशन द्वारा नियोजित आई.टी. प्रबंधकों के मानदेय में इनके नियोजन के समय से हीं कोई वृद्धि नहीं की गयी है। इसी प्रकार आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में माह जुलाई, 2013 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में सभी स्तरों के कर्मियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है:-

क्र.	**पद नाम**	**प्रारंभिक मानदेय** (रूपये)	**प्रथम वृद्धि के उपरांत मानदेय** (रूपये)	**प्रस्तावित वृद्धि के पश्चात मानदेय** (रूपये)
1.	आई.टी. प्रबंधक	30000/=(वर्ष 2010)	–	40000/-प्रतिमाह
2.	आई.टी. सहायक	8000/=(वर्ष 2011)	10000/=(वर्ष 2013)	17000/-प्रतिमाह
3.	कार्यपालक सहायक	7000/=(वर्ष 2011)	9000/=(वर्ष 2013)	बेलट्रान के आदेश

				पत्रांक 4927/14 दिनांक-21-08-14 के अनुसार
4.	प्रोग्रामर	25000/=	-	33000/=

निर्णय	**स्वीकृत - यह भी निर्णय लिया गया कि मानदेय वृद्धि के लिए एक तर्कसंगत वैज्ञानिक फार्मूला बना लिया जाए।**

प्रस्ताव संख्या 9 :- प्रारंभ में आवश्यकतानुसार विभागों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आई.टी. प्रबंधक विभागों को उपलब्ध कराया जाता रहा है। हाल के दिनों में आई.टी. से संबंधित कार्यो का क्रियान्वयन प्रायः सभी विभागों में किया जा रहा है तथा प्रायः सभी विभागों से आई. टी. प्रबंधक हेतु अधियाचना प्रारंभ हो रही है। विभागों के आई.टी. से संबद्ध कार्यो के क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों में आई.टी. प्रबंधकों के नियोजन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में **परिशिष्ट-'ज'** में संलग्न विवरणी के 8(आठ) विभागों में आई.टी. प्रबंधकों के संविदा के आधार पर पूर्व की भाँति नियोजन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। शासी परिषद् के अनुपोदनोपरांत अन्य प्रकियाए आरंभ की जाएगी।

निर्णय	**अस्वीकृत**

प्रस्ताव संख्या 10 :- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, सूचना प्रावैधिकी सलाहकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग, जिनके द्वारा धारित पद का सी.यू.जी. मोबाईल सेट एवं सीम उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है, इन पदाधिकारियों को शासी परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का अनुमोदन प्राप्त कर सी.यू.जी. सीम एवं मोबाईल सेट उपलब्ध कराई गयी है। इस पर शासी परिषद का घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय	**स्वीकृत -ऐसे सभी मामलों पर भविष्य में निर्णय लेने के लिए अपर मिशन निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है।**

3

प्रस्ताव संख्या 11 :- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को मोबाईल सेट क्रय हेतु राशि प्रदान किया गया था। हाल के दिनों में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा इस आशय का पत्र प्राप्त हो रहा है कि उन्हें उपलब्ध कराया गया मोबाईल सेट खराब हो गया है तथा इन्हें खराब मोबाईल सेट के बदले नया मोबाईल प्रदान किया जाए। इस संबंध में ऐसे सभी पदाधिकारी, जिन्हें प्रदान किये गये मोबाईल सेट की अवधि तीन वर्ष से ज्यादा हो गया है तथा मोबाईल सेट खराब हो गया है। उन्हें उनके पद के अनुसार अनुमान्य राशि के समतुल्य नया मोबाईल सेट क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	**इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या -3/एफ-01-39/2014/2080/वि0 दिनांक 02.03.2015 का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जाए।**

प्रस्ताव संख्या 12 :- भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार एवं अन्य संस्थानों में महत्वपूर्ण पद धारित किये जाते है। कई पदाधिकारी एक से अधिक विभागों के प्रभार में भी है। आज के समय में Security, integrity and accessibility of data एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है।साथ ही Best practices का संधारण भी आवश्यक है। इस दृष्टि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप/टैबलेट एवं इससे जुड़ी हुई ऐसेसरीज के क्रय हेतु प्रत्येक 05 वर्ष के अंतराल में रूपये 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। वैसे पदाधिकारी, जिनके द्वारा पूर्व में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से लैपटॉप आदि का क्रय कर लिया गया है, उन्हें क्रय के पाँच वर्ष के अंतराल में यह सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। इस मद मे होने वाले व्यय का वहन प्रस्ताव संख्या 13 के अनुरूप किया जायेगा।

निर्णय	**इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि- (1) वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या -3/एफ-01-39/2014/2080/वि0 दिनांक 02.03.2015 का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जाए।** **(2) अधिकतम राशि रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र) होगी।** **(3) यह सुविधा उन अधिकारियों को नहीं प्राप्त होगी जिनकी उम्र 55 वर्ष पूर्ण हो गई है या सेवानिवृति को 5 वर्ष से कम अवशेष हो।** **(4) सूचना प्रौवेधिकी विभाग से लैपटॉप प्राप्त कर चुके**

	अधिकारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। **(5) राशि की प्रतिपूर्ति की वित्तीय प्रकिया मिशन स्तर से निर्गत की जायेगी।**

प्रस्ताव संख्या 13 :- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा DFID के मद से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप दिये जाने का प्रावधान है। दिनांक 30.06.2014 के उपरांत इस व्यवस्था को जारी रखने हेतु निम्न प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है:-

(i) दिनांक 30.06.2014 के उपरांत भी इस प्रावधान को जारी रखा जा सकता है। उपरोक्त मद में होने वाले व्यय का वहन DFID से प्राप्त राशि के व्याज तथा बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्राप्त राशि के वेतनादि मद से किया जा सकता है।

(ii) वैसे पदाधिकारी, जिनके द्वारा क्रय किये गया लैपटॉप की छः वर्ष से ज्यादा की अवधि व्यतीत हो गया है तथा उनके द्वारा क्रय किया गया लैपटॉप खराब हो गया है, उन्हें नया लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए।

निर्णय	**प्रस्ताव (i) स्वीकृत।** **प्रस्ताव (ii) इस संसोधन के साथ स्वीकृत कि वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या -3/एफ-01-39/2014/2080/वि0 दिनांक 02.03.2015 का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जाए।**

प्रस्ताव संख्या 14 :- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा नियोजित सभी आई.टी. प्रबंधकों को लैपटॉप एवं इंटरनेट भत्ता के रूप में प्रत्येक माह रूपये 2,000.00 (दो हजार) दिये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	**अस्वीकृत - लैपटॉप उपलब्ध कराने के विषय पर सूचना प्रावैधिकी विभाग कार्रवाई करेगा।**

प्रस्ताव संख्या 15 :- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आहूत राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने वाले राज्य मुख्यालय से बाहर के आई.टी. प्रबंधक को वर्त्तमान में रूपये 500.00 (पाँच सौ) T.A. के रूप में दिया जाता है। वर्तमान यात्री किराया एवं होटल आवासन के शुल्क में हुए वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में यह राशि समुचित प्रतीत नहीं होती है। T.A. के रूप मे दिये जाने वाले रूपये 500.00 (पाँच सौ) की राशि

को वृद्धि कर राज्य मुख्यालय से बाहर के आई0टी प्रबंधको के लिए रूपये 1500.00 (एक हजार पाँच सौ) प्रति बैठक करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि यात्रा व्यय की अनुमान्यता इस प्रकार होगी – (1) पटना तक आने जाने हेतु ट्रेन में **Ac-III/Ac Chair (Executive Class छोड़कर)** की अनुमान्यता होगी। सड़क यात्रा की स्थिति में **Non-Ac Bus** का किराया मान्य होगा। (2) पटना शहर में **Bus/Auto** की अनुमान्यता होगी। **Auto** में यात्रा करने पर प्रतिकिलोमिटर 8 रू0 की अनुमान्यता होगी। (3) दैनिक भत्ता पटना शहर के लिए 1000 रू0 होटल की दर एवं 200 रूपये सामान्य दर होगी। सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य दर लागू होगी। होटल का अर्थ निबंधित या लाईसेन्स प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस होगा। होटल में रहने की दर, रहने और खाने की संयुक्त दर है। जोकि अधिकतम अनुमान्य है बशर्ते इसके लिए आवश्यक अभिश्रव पेश किया जाय। (4) यह सुविधा केवल राज्य मुख्यालय के बाहर के आई0टी0 प्रबंधको को राज्य मुख्यालय में बैठको के लिए मान्य होगी। (5) भुगतान उस कार्यालय से होगा जहाँ से मानदेय प्राप्त होता है।

प्रस्ताव संख्या 16 :- वर्तमान में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 51 सेवाएँ प्रदान की जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में इससे कही ज्यादा सेवाएँ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल है। उदारहरणस्वरूप कर्नाटक राज्य में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत 600 से अधिक सेवाएँ शामिल है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी नई सेवाएँ शामिल करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद के स्तर पर विचार-विमर्श प्रार्थित है।

निर्णय	इस विषय पर सबंधित विभागो से मंतव्य प्राप्त करने का

	निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव संख्या 17 :- वैसे आई.टी. सहायक/ कार्यपालक सहायक, जिन्हें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु जिले के पैनल से नियोजित किया जाता है तथा कार्य समाप्त होने के उपरांत इन आई.टी. सहायक/ कार्यपालक सहायकों का नियोजन समाप्त कर दिया जाता है। इन आई.टी. सहायकों/ कार्यपालक सहायकों द्वारा पुनर्नियोजन हेतु किये गये अनुरोध पर विभिन्न जिलों से मन्तव्य की माँग की जा रही है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में वैसे आई.टी. सहायक/कार्यपालक सहायक, जिनकी सेवा कार्यपूर्ण होने के उपरांत समाप्त की जाती है, को जिले में रिक्त आई.टी. सहायक/कार्यपालक सहायक के पदों पर नियोजन करने एवं रिक्ति नहीं होने की स्थिति में इन्हें जिला पैनल में वरीयतम स्थान पर रखने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	अस्वीकृत

प्रस्ताव संख्या 18 :- वैसे कर्मी जिन्हे किसी कारण से सेवा से हटा दिया जाता है उन कर्मियों द्वारा इसके विरूद्ध अपील करने का प्रावधान वर्त्तमान में नहीं है। फलत: कर्मी मानवधिकार आयोग आदि में परिवाद पत्र देते है तथा इस संबंध में आयोग से पृच्छाए प्राप्त होती है। अत: समीचीन प्रतीत होता है की इस प्रकार के मामले में अपील करने का प्रावधान किया जाने पर विचार किया जाए। इस निमित मुख्यालय स्तर पर विकास आयुक्त, बिहार-सह-उपाध्यक्ष शासी परिषद् एवं क्षेत्रिय स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त को अपीलीय प्राधिकार धोषित करने पर शासी परिषद् का निर्णय प्रार्थित है।

निर्णय	अस्वीकृत

अन्यान्य:-

(1) अगली बैठक में वार्षिक कार्य योजना, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(2) आर0टी0पी0एस0 के तहत प्रतिवर्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या का विश्लेषण किया जाए। बिहार भवन में प्राप्त आवेदन की संख्या का भी विश्लेषण किया जाए।

(3) लोक संवेदना अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।

(4) प्रशासनिक सुधार की दिशा में निरंतर प्रयत्न आरंभ रखे जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(आदेश ति0)	(सुरेन्द्र कुमार राम)	(अखिलेश कुमार जैन)
अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि	सचिव, विधि विभाग
ह0/-	ह0/-	ह0/-
(एच0आर0 श्रीनिवास)	(आमिर सुबहानी)	(ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद)
सचिव, वित्त विभाग	मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	महा निदेशक, बिपार्ड
ह0/-	ह0/-	
(शक्ति कुमार नेगी)	(अंजनी कुमार सिंह)	
विकास आयुक्त, बिहार	मुख्य सचिव, बिहार	

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना-02/2012(खण्ड)सो0......244...... दिनांक...23/03/2015

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव,वित्त विभाग/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग/ महानिदेशक,बिपार्ड/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-मिशन निदेशक,बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/सचिव, विधि विभाग को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित्।

23.03.15

(आदेश ति0)

अपर मिशन निदेशक

E:Prashant/report for gc final 12.0315